न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रा. सं	तारीख दायरा	निर्णय दिनांक
31/2021	28.09.2021	01.12.2021

1.नारायणसिह पुत्र नथूराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

2.रामूराम पुत्र नथूराम जाति जाट निवासी आसलखेड़ी एवं सर्वसाधाराण

अप्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र रोही ग्राम आसलखेड़ी के खसरा नं. 145 में से 4 बिश्वा (0.0506 हैक्टेयर) भूमि पर सार्वजनिक धर्मार्थ कुण्ड को राजगामी किये जाने अन्तर्गत धारा 63 आरटीएक्ट 1955

आदेश

रोही ग्रम आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू की जमाबन्दी के खाता नं. 77 में दर्ज खसरा नम्बर 145, 150, 571, 643/571, 71, 80 कुल किता 6 तादादी 19.3113 हैक्टेयर में खातेदार जड़ाव पत्नि नरसीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर का 4/1527 हिस्सा इस खातेदारी में दर्ज है तथा उपरोक्त खसरा में से खसरा नम्बर 145 तादादी 0.3794 हैक्टेयर में से 0.4 बिश्वा (0.0506 हैक्टेयर) भूमि में कुण्ड सार्वजनिक उपयोग हेतु जड़ाव द्वारा निर्माण करवा दिया गया जो मौके पर मौजूद है। चूंकि उक्त खसरा में शेष खातेदार नारायणसिह पुत्र नत्थूराम, रतनीदवी पत्नि बोयतराम व रामूराम पुत्र नत्थूराम भी सह खातेदार हैं । जिनके द्वारा अपनी कृषि भूमि के विभाजन हेतु पटवारी हल्का व तहसीलदार चूरू के समक्ष निवेदन किया गया जिस पर राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 53 के अनुसार कानूनन समस्त खातेदारान की उपस्थिति व सहमति के आधार पर ही किये जाने के प्रावधान बताया गया, जिस पर सह खातेदारान ने तहसील सरदारशहर जाकर उक्त सह खातेदार जड़ाव पत्नी नरसीसिह के बारे में इनके परिवारजन के बारे में पता करने का भरसक प्रयास किया लेकिन जड़ाव पत्नि नरसीसिंह की मृत्यु काफी समय पूर्व हो जानी बतायी एवं इनके निकटतम रिश्तेदार जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 व 16 के अनुसार किसी रिश्तेदार की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर सह खातेदार नारायणसिह द्वारा उक्त सम्बन्ध में उपरोक्त सूचना से जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2021 से अवगत करवाये जाने पर तहसीलदार चूरू द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र [illegible]2021 दिनांक 07.07.2021 अनुवानी नारायणसिह बनाम सर्वसाधारण [illegible] कार्यवाही पत्रावली में करते हुए उक्त खातेदार जड़ाव पत्नि [illegible] तहसीलदार सरदारशहर के क्षेत्राधिकार में निवास करने पर रिपोर्ट पटवारी दूलरासर की रिपोर्ट को तहसीलदार सरदारशहर द्वारा तहसीलदार चूरू को प्रेषित कर उक्त के कोई भी वारिस नहीं होना बताया जाना पत्रावली पर उपस्थित आया । तत्पश्चात तहसीलदार चूरू द्वारा सार्वजनिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:18:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कार्यालय पत्रांक भू.अ./2021/1872 दिनांक 08.07.2021 को नोटिस सार्वजनिक सूचना के रूप में राष्ट्रीयकृत न्यूज पेपर राष्ट्रदूत दिनांक 10.07.2021 को साया करवाया गया, तथा ग्राम पंचायत आसलखेड़ी के नोटिस बोर्ड पर चस्पादंगी करवायी जाकर उपस्थित ग्रामीणजन के हस्ताक्षर करवाये गये लेकिन बावजूद इसके किसी भी विहित समयावधि या उसके पश्चात ही कोई ऊजर पत्रावली पर उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर तहसीलदार चूरू द्वारा उक्त पत्रावली जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में क्षेत्राधिकार स्वंय के पास नहीं होने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी ।

तहसीलदार चूरू द्वारा प्रस्तुत उक्त पत्रावली पर न्यायालय में पत्रावली सं. 31/2021 दिनांक 28.09.2021 अनुवानी नारायणसिह बनाम रामूराम व सर्वसाधारण का अवलोकन किया गया । तद्नुसार प्राथमिक रूप से आसलखेड़ी के खसरा नम्बर 145 में से 04 बिश्वा (0.0506 हैक्टेयर) भूमि पर सार्वजनिक धर्मार्थ कुण्ड का निर्माण होना पाया गया जो भूमि प्राथमिक रूप से संयुक्त खातेदारी में खातेदार जड़ाव पत्नि नरसीसिह की तथा अन्य सह खातेदारों की है। पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य रामनारायण पुत्र बालुराम जाट , नारायणसिह पुत्र नत्थूराम, राजेशकुमार पुत्र भगवानाराम, रामूराम पुत्र नत्थूराम साक्ष्य से, पटवारी दूलरासर की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2021 जो तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अधिप्रमाणित है एवम् सार्वजनिक सूचना राष्ट्रीयकृत न्यूज पेपर राष्ट्रदूत में दिनांक 10.07.2021 को जारी होना, ग्रम पंचायत आसलखेड़ी के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक सूचना की चस्पांदगी व पत्रावली पर जड़ाव के किसी भी वर्ग के उत्तराधिकारी का उपस्थित न होना पाया गया ।

राजस्थान अभिधृति कानून 1955 (Rajasthan Tenancy Act 1955) के अध्याय 5 में अभिधृतियों के समर्पण करने हेतु धारा 55 से 59 में प्रावधान दिये गये हैं तदर्थ अभिधृतियों का निर्वापन (Extinction) खातेदार द्वारा, उनके किसी भी कार्य व आचरण (Act and Conduct) से खातेदार द्वारा अपनी सम्पति की वसीयत एवं बिना किसी अपने उत्तराधिकारी को छोड़े मर जाने पर धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार सम्पति को राजगामी करने का प्रावधान हैं । हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प आसलखेड़ी के मजमे आम में उपस्थित सरपंच ग्राम पंचायत आसलखेड़ी एवं उपस्थित गणमान्य ग्रामवासीगण से पूछताछ की गयी जिस पर उपस्थित ने खातेदार जड़ाव पत्नि नरसीसिंह जाति पुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर के जायन्दा पुत्र पुत्री संतान का नहीं होना बताया गया तथा उनके अन्य वारिशों की जानकारी नहीं होना भी बताया गया । साथ ही उपस्थित गणमान्यों ने उक्त सार्वजनिक धर्मार्थ कुण्ड को राजगामी घोषित करने में कोई आपत्ति एतराज नहीं होने का कथन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:18:47 IST
Reason: SelfAttested

सम्पूर्ण-पत्रावली का भलीभांति ... पत्नि नरसीसिह जाति पुरोहित निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर ...4/1527 हिस्सा कृषि भूमि ग्रम आसलखेड़ी के रकबा की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 145, 150, 571, 643/571, 71, 80 कुल किता 6 तादादी 19.3113 हैक्टेयर में खसरा नम्बर 145 में से उनके सम्पूर्ण हिस्सा 04 बिश्वा पर सार्वजनिक धर्मार्थ कुण्ड निर्मित होने तथा खातेदार के कोई भी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वारिश ना होने से उक्त भूमि का निर्वापन उक्त खातेदार जड़ाव की खातेदारी भूमि में कुण्ड निर्मित होने की स्थिति में राज्यहित में निर्वापित की जाकर उक्त भूमि हेतु तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्वापित भूमि में निर्मित सार्वजनिक धर्मार्थ कुण्ड को अनधिवासित भूमियों की सूचि में शामिल कर गैर मुमकिन सार्वजनिक धर्मार्थ कुण्ड को खसरा नम्बर 145 रकबा 0.3794 में से 04 बिश्वा (0.0506 हेक्टेयर) संलग्न नक्शा अनुसार पृथक कर नया खसरा कायम करते हुए राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें एवं नक्शे में तरमीम करावें । शेष कृषि भूमि व सह खातेदारों का संयुक्त खाता यथावत रखा जावे।

आदेश आज दिनांक 01.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प आसलखेड़ी के मजमे आम में सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

01/12/21

(राहुल सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चूरू

चूरू

ना० क्र० 1393

09.12.2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:18:47 IST
Reason: SelfAttested